चाहिए, चाहे यह राज्य से संबंधित विषय ही क्यों न हो। मैं ज्यादा न कह कर सरकार से इस पर संज्ञान लेने के लिए आग्रह करता हूं और उनकी दो पंक्तियां कहना चाहता हूं।

"समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध।"

उनकी लेखनी सतत् सामाजिक और आर्थिक समानता, शोषित, वंचित और दबे-कुचले के लिए न्याय की बात लिखती रही है। आज वे खुद न्याय की भीख मांग रही है।

उपसभापति महोदय, मैं इस पर विशेष संज्ञान लेने का अनुरोध करता हूं। सरकार इस पर पहल करे और उनकी जो सम्पत्ति है, उसको वापिस दिलाने का प्रयास करे और उनके परिवार के साथ न्याय करे।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): महोदय, मैं इसको एसोसिएट करता हूं।

श्री अश्क अली टाक (राजस्थान): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

डा. **राम प्रकाश** (हरियाणा): महोदय, मैं भी एसोसिएट करता हूं।

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention raised by the hon. Member.

Demand to set guidelines for appointment of Vice-Chancellors in the State Universities

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका ध्यान निम्नलिखित बातों पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। केन्द्र द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में भी सुधार के प्रयास हो रहे हैं। इसमें यू.जी.सी. का भी सराहनीय योगदान है। परन्तु, अफसोस की बात यह है कि राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन यानी गाइड लाइंस तय नहीं की गई हैं। परिणाम यह है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर कुछ संदिग्ध एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी नियुक्त हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बिहार स्थित जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उसको राज्य सरकार ने भी कुलाधिपति से हटाने की सिफारिश की है। इसके बावजूद भी कुलपति अपने पद पर बने हुए हैं। इस घटना को लेकर पूरे राज्य में असंतोष व्याप्त है। छात्र समुदाय सामूहिक आंदोलन पर उतारू है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए स्पष्ट मार्ग-निर्देशन तय करें। धन्यवाद।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा): महोदय, मैं एसोसिएट करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ganga Charan; not present. Shri Ali Anwar Ansari.

Demand to include caste-based Census in General Census, 2011

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): उपसभापति महोदय, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 2011 की जनगणना में जाति को शामिल नहीं किया जा रहा है। पिछले साल इस सवाल पर देश में और संसद में काफी

चर्चा हुई थी और इस बात पर सहमति बन गई थी कि 2011 की जनगणना में जाति को शामिल किया जाएगा।

ऐसे मौके कम आते हैं जब पक्ष और विपक्ष का भेद मिट जाता है। जनगणना में जाति को शामिल करने को लेकर हुई बहस में यही हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही वामपंथी दलों और तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने इस बात का समर्थन किया कि जनगणना में जाति को शामिल करना अब जरूरी हो गया है। इसके बाद प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया कि सदस्यों की भावना से सरकार वाकिफ है और इस बारे में कैबिनेट फैसला करेगी। उनकी इस घोषणा का जोरदार स्वागत हुआ है और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया।

लेकिन अब सरकार ने इसे जनगणना अधिनियम 1948 से अलग करते हुए सामान्य जनगणना जून से सितम्बर, 2011 के बीच करने का फैसला किया है। इस तरह सिर्फ जातियों की संख्या का पता चलेगा। उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। यह इस संबंध में बनी सहमति का और इस तरह भारतीय लोकतंत्र और जनता की भावनाओं का अपमान है।

हम यह मांग करते हैं कि सरकार जाति आधारित जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया पर इसकी वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत कराए तथा इसे जनगणना से अलग न कर जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत ही किया जाए। साथ ही इसमें विभिन्न जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े एकत्रित करते हुए, इसे सामान्य जनगणना 2011 का तीसरा चरण घोषित किया जाए।

श्री सैयद अज़ीज़ पाशा (आन्ध्र प्रदेश): सर, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRI SHASHI BHUSAN BEHERA (Orissa): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

प्रो. अनिल कुमार साहनी (बिहार): सर, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री किशोर कुमार मोहन्ती (उड़ीसा): सर, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा): सर, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: इस पर बहस नहीं। श्री एन.के. सिंह। There is no question of discussion on this. Shri N.K. Singh. ...*(Interruptions)*... नहीं, आप एसोसिएट कर सकते हैं। There is no question of debate. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record except the Special Mention. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: *

श्री उपसभापति: कैसे? ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): *

श्री **उपसभापति**: नहीं, nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... श्री एन.के. सिंह जी आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... पाणि जी,

*Not recorded.

आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। इस पर कोई बहस नहीं। Nothing will go on record. रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। आप एसोसिएट कर सकते हैं, मगर रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा। श्री एन.के. सिंह।

Need to control Current Account Deficit

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Sir, I would like to bring to the attention of the House the need to evolve a medium-term policy to control the yawning current account deficit. The deficit in the current account is likely to cross three per cent of India's GDP. The declining export/import ratio of India's merchandise trade is a worrying factor as it has declined to 64 per cent in 2010 from 86 per cent in 2001. The trade deficit could jump nearly 2.5 times to $278.5 billion in three years and this may cause an unsustainable rise in the current account deficit. Even though service earnings are most likely to grow, their growth cannot sustain a ballooning of the balance of trade deficit to the size of 13 per cent of India's GDP. The Central Bank has also pointed out that although recent data shows some improvement in exports *vis-a-vis* imports, the sharp increase in global commodity prices could have an adverse impact on current account deficit rising further.

Therefore, I urge the Government to take concerted action on multiple fronts like better exchange rate management, improving competitiveness of export sector, seeking market diversification, and encouraging faster inward remittances. A coherence strategy is very important as current account deficit may widen further with the recovery of global economy.

SHRI MAHENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Concern over poor quality of rice and pulses being served in Mid-Day-Meal in Schools and other schemes

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, it is alleged that lowest quality rice and dal are being served in many States in mid-day meal for school children, anganwadi and nutrition programme for pregnant mothers. In spite of the observation of hon. Supreme Court and High Court to various States in this regard, the quality of food material has not been improved. This is 100 per cent Central Government fund which is being utilized for care of children and mother. If the quality of food material is not good, instead of helping them, it may create health hazards for millions of children and mothers who are the future of the country. Although these are the Central Government schemes, State Governments are in charge of its implementation.